

जज अदालत उपखंड अधिकारी मुकाम बयाना
 रागाण आदि बयाना के.पी.के.ए.
 किसम मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट नं. 147/23 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मया इनिशियल जज	नंबर-य तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 04 23	<p>रुडकोरेट प्रान्सी में यह प्राप्तिमा पत्र शाह 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। एतने रुडकोरेट प्रान्सी की एक-पक्षीय सुना। पश्चात्त में एजन्ट राजेश्वर अग्रवाल का मतलबकः किया। प्राण प्रथम हस्त्या प्राप्तिमा के एक में कपास आता है कि अग्रवालिया के जो कुछ अन्तिम अस्थाई निधि बासा आगामी नवंबर 16/9/23 तक इस कारण का जारी किया जाय है कि आगामी एत 12/9/23 रकत 0.10 है। वक प्राम खंडनी गडासिक तहसील - कपास के गोदी की प्रमाणित बनाए रखे। उक्त कारण के वाकीगण। अग्रवाल के उपयोग - उपयोग में जोप ताबाउ.पुन नही करे। इत ताबत कोई आपनी हो। से निधत ताबाउ प्रेरी के नपाननप हाजा उपाधित हों। प्रमाण वजि रजिस्टर हो। अग्रवालिया के जोएए नैडि ए तक का अग्रवाल डिमांड 16/9/23 को पेश है।</p>	

उपखंड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

जिगाए कार्र में
पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12 को पेश हो

13/16/17 9 को
23

रीडर

एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

प्रमाण आगमिया हुक्म

18/9/23

11/12/ पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व दिनांक 10/6/24 को पेश है।

सीडर

ओ/एस.डी.एम.

10 1/2

15-11-2024 उपाय
वकील महोदय परामर्श के अनुसार
वकील महोदय को उपाय के
बारे में सूचना दी जा रही है।
उपाय के अन्तर्गत 12/3/25 को पेश है।

17 2/24 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व दिनांक 18/2 को पेश है।
सीडर
ओ/एस.डी.एम.

18/12/24 एडवोकेट उपाय।
उपाय के अन्तर्गत 12/3/25 को पेश है।

12 3/25 वकूलाय उपाय उपाय के अन्तर्गत
वकील महोदय को सूचना दी जा रही है।
उपाय के अन्तर्गत 12/3/25 को पेश है।

14 5/25 वकूलाय उपाय उपाय के अन्तर्गत
वकील महोदय को सूचना दी जा रही है।
उपाय के अन्तर्गत 12/3/25 को पेश है।

11 7/25 वकूलाय उपाय उपाय के अन्तर्गत
वकील महोदय को सूचना दी जा रही है।
उपाय के अन्तर्गत 12/3/25 को पेश है।

18 2/25 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व दिनांक 11 को पेश है।

सीडर
ओ/एस.डी.एम.

11/11/25 उपाय उपाय उपाय उपाय
उपाय उपाय उपाय उपाय

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अन्तरीम अस्व्याई निषेधाज्ञा बाबत
बहरा सुनी गई। 650 अपीलियों
में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों
को दोहराते हुए प्रकरण में जारी
अस्व्याई निषेधाज्ञा को पुष्ट किंग
जाने का निवेदन किया।

उक्त अपीलियों में जबाब प्रार्थना
में अंकित तथ्यों का पुनरावलोकन
कराया तथा विवादित आराजीमात को
आवासीय मूखबुट बताया तथा सूचि
पट्टा संबंधी दस्तावेज पेश किए।
अन्त में 650 अपीलियों द्वारा प्रार्थना
पत्र खारिज किए जाने का निवेदन
किया।

आदेश

अतः न्यायालय द्वारा जारी
अन्तरीम अस्व्यायी निषेधाज्ञा दिनांक
06/07/2023 खारिज की जाती है।
प्रार्थना पत्र अपीलियों इजी एतर पर
खारिज किया जाता है पत्रवली
फैजल सुमार डीकर नम्बर से सं
है। बाद-तकमील वास्विल कतर
11/11

2